कार्यालय उत्तर प्रदेश सूचना आयोग,आर0टी0आई0भवन,
7/7ए,विभूति खण्ड, गोमती नगर, लखनऊ।

संख्याः 947/उ0प्र0सू0आ0/नज़ारत/60/2018, दिनांकः 24.02.2020

नीलामी सूचना

सर्व साधारण को सूचित किया जाता है कि उत्तर प्रदेश सूचना आयोग में अवस्थित कैन्टीन संचालन हेतु नीलामी की तिथि दिनांक 04.03.2020, समय 3:00 बजे निर्धारित की गयी है प्रश्नगत नीलामी की नियम व शर्ते संलग्न है।

संलग्नक : यथोपरि।

(तेजस्कर पाण्डेय)
उप सचिव।

प्रतिलिपि :–

1. वित्त एवं लेखाधिकारी, उ0प्र0सूचना आयोग।
2. प्रभारी, नजारत अनुभाग को निर्देशित किया जाता है कि उक्त नीलामी की सूचना उ0प्र0सूचना आयोग के नोटिस बोर्ड पर चस्पा करें।
3. कम्प्यूटर प्रोग्रामर को निर्देशित किया जाता है कि उक्त नीलामी की सूचना विभागी वेबसाइट upic.gov.in पर अपलोड करें।

(तेजस्कर पाण्डेय)
उप सचिव।

नियम व शर्तें

1. उ0प्र0सूचना आयोग (आर0टी0आई0भवन) में अवस्थित कैन्टीन संचालन हेतु बोली में शामिल होने हेतु प्रत्येक बोलीदाता को धरोहर धनराशि रू0 5000/– जमा करना अनिवार्य है।
2. धरोहर धनराशि का ड्राफ्ट " **वित्त एवं लेखाधिकारी, उ0प्र0सूचना आयोग, लखनऊ** " के पक्ष अथवा नकद जमा करके नीलामी में भाग ले सकता है।
3. नीलामी प्रक्रिया समाप्त होने के उपरान्त उच्चतम बोलीदाता को छोड़कर शेष बोलीदाताओं की धरोहर धनराशि वापस कर दी जायेगी।
4. उच्चतम बोलीदाता को बोली की 50 प्रतिशत धनराशि नजारत अनुभाग,उ0प्र0 सूचना आयोग, लखनऊ में तत्काल नकद जमा करना होगा।
5. उच्चतम बोलीदाता को रू0 25000/– जमानत राशि तत्काल जमा करना होगा। अधिकतम बोली का 50 प्रतिशत धनराशि कैन्टीन संचालन प्रारम्भ करने से पूर्व जमा करना अनिवार्य होगा।
6. उक्त नीलामी अवधि 01 वर्ष के लिए होगी। नीलामी धनराशि का 50% जमा करने की तिथि से ही कैन्टीन संचालन प्रारम्भ करने की तिथि मानी जायेगी और उसके ठीक 01 वर्ष बाद स्वतः समाप्त हो जायेगी। शेष धनराशि 04 समान त्रैमासिक किस्तों में जमा करना होगा।
7. कैन्टीन संचालन निर्धारित अवधि में अधिकृत संचालक द्वारा यदि अनुबन्ध/नियम/शर्तों का संतोषजनक अनुपालन किया जाता है तो निर्धारित अवधि पूर्ण होने के उपरान्त जमानत के रूप में जमा ड्राफ्ट वापस कर दिया जायेगा। यदि बोलीदाता अथवा उसके प्रतिनिधि/सहयोगी द्वारा अनुबन्ध /नियम/शर्तों का उल्लंघन किया जाना पाया जाता है अथवा आयोग की सम्पत्ति को हानि पहुँचाई जाती है तो जमा की गयी जमानत की धनराशि जब्त कर ली जायेगी।
8. आयोग द्वारा स्वीकृत सूची दर के अनुसार खाद्य सामग्री विक्रय की जायेगी।
9. हीटर/इंडक्शन चूल्हा का प्रयोग नहीं किया जायेगा।
10. उक्त नीलामी को बिना कारण बताये स्वीकृत/अस्वीकृत करने का अधिकार सचिव,उ0प्र0सूचना आयोग,लखनऊ को होगा।
11. किसी भी विवाद की स्थिति में सचिव, उ0प्र0सूचना आयोग,लखनऊ का निर्णय अन्तिम एवं सर्वमान्य होगा।
12. उक्त नीलामी स्वीकृत होने के उपरान्त उच्चतम बोलीदाता को 07 दिन के अन्दर कैन्टीन का संचालन प्रारम्भ करना होगा, यदि निर्धारित अवधि में कैन्टीन संचालन नहीं किया जाता है तो उक्त नीलामी निरस्त कर दी जाएगी, तथा ज़मानत धनराशि जब्त कर ली जाएगी।